(128)

परिषद के मुख्यालय 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में दिनांक 5-5-1978 को प्रातः 10=30 बजे पूर्वान्ह में हुई उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की वर्ष 1978 की तृतीय बैठक का कार्यवृत्त ।

निम्नलिखित उपस्थित थे :-

(1) श्री बी0जे0ओदायजी	अध्यक्ष	अध्यक्ष
(2) श्री ए0पी0सिंह	आवास आयुक्त	सदस्य
(3) श्री त्रिभुवन नारायण सिंह		सदस्य
(4) श्री राम औतार दीक्षित		सदस्य
(5) श्री अरविन्द वर्मा	विशेष वित्त सचिव (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
(6) श्री बी0एन0द्विवेदी	प्रबन्ध निदेशक, जल निगम	सदस्य
(7) श्री जे0पी0दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
(8) श्री सतीश कुमार शर्मा	उप प्रशासक, नगर महापालिका	

क्रम सं0	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
(1)	परिषद की दिनांक 20-3-78 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि	111/(1)/78	परिषद की दिनांक 20-3-78 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।
(2)	परिषद की वर्ष 1978 की द्वितीय बैठक दिनांक 20-3-78 के कार्यवृत्त की अनुपालन रिपोर्ट ।	111/(2)/78	परिषद की बैठक दिनांक 20-3-78 की कार्यवृत्त पर अनुपालन रिपोर्ट का परिषद द्वारा अवलोकन किया गया । संकल्प संख्या 11/(6)/78 पर पुनर्विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया कि राम नगर, मिश्रा नगर लखनऊ के कामर्शियल एरिया का विस्तार करते हुए इस क्षेत्र में लखनऊ विश्वविद्यालय के बिज़नेस ऐडमिनिस्ट्रेशन विभाग के लिये भूमि का प्राविधान कर दिया जाय ।
(3)	परिषद के अधिकारियों / कर्मचारियों की सामान्य सेवा शर्तों में संशोधन ।	111/(3)/78	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गया । (1) वर्तमान उप नियम 17 में से शब्द '' as far as possible निकाल दिये जायें । (2) सेवाओं में आरक्षण का मामला महत्वपूर्ण है और इसके लिये यह आवश्यक है कि अद्यावधि शासनादेशों के प्रकाश में सम्पूर्ण स्थिति का जायजा लिया जाय । अतः

कृ0प0उ0

1	2	3	4
			परिषद यह चाहती है कि आरक्षण सम्बन्धी उप नियमों का पुनरीक्षण शासन के सम्बन्धित विभाग के परामर्श से किया जाय ।
(4)	परिषद के मुख्यालय पर आर्कीटेक्चरल असिस्टेंट, आर्कीटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन एवं आर्कीटेक्चरल ट्रेसर्समैन की स्वीकृत पदों का पुनरीक्षण ।	111/(4)/78	परिषद ने इस प्रस्ताव को इस निर्देश के साथ स्वीकार किया कि पदों की संख्या 20 रहेगी अर्थात 6 पद वेतनक्रम 450-950, 2 पद वेतनक्रम 400-750, 4 पद वेतनक्रम 325-575 एवं 8 पद वेतनक्रम 300-500 में रहेंगे । परिषद की जानकारी में यह बात आई है कि भूतकाल में निजी आर्कीटेक्ट से डिज़ाइन तैयार करवाये गये है । परिषद की इस इकाई के पुनर्गठन के पश्चात् भविष्य में इस प्रकार का कार्य निजी आर्कीटेक्ट से कराने की आवश्यकता नही होगी यदि ऐसी आवश्यकता पड़े तो परिषद से पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जाय ।
([illegible])	सीनियर आडीटर, जूनियर आडीटर एवं लेखाकार पदों पर प्रोन्नति सम्बन्धी विनियमों में संशोधन ।	111/(5)/78	परिषद द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रस्ताव इस संशोधन के साथ स्वीकार किया गया कि सबसे निचले स्तर पर सीधी भर्ती द्वारा 66-2/3% एवं प्रोन्नति द्वारा 33-1/3% रिक्त पदों की पूर्ति की जाय । परिषद द्वारा आवास आयुक्त से Minimum In-Built audit व्यवस्था के परीक्षण की भी आकांक्षा की गयी । यह भी देखा जाय कि प्रत्येक कार्य खण्ड में आडिट के लिये न्यूनतम आडिट व्यवस्था क्या हो । एक साथ आडिट (concurent Audit) की प्रणाली निजी कम्पनीयों एवं सुस्थापित सार्वजनिक क्षेत्र में काफी प्रचलित है । ×
	× यह प्रणाली परिषद के लिये [illegible] उपयुक्त है या नहीं इसका भी परीक्षण किया जावे । [signature]		
(6)	अवर अभियन्ताओं के सेलेक्शन [illegible] (400-600) के कोटे में [illegible] ।	111/(6)/78	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया इस मामले के और अधिक परीक्षण हेतु उप समिति गठित करने का निर्णय लिया गया जिसके सदस्य विशेष सचिव, वित्त विभाग, प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, तथा आवास आयुक्त होंगे । उप समिति द्वारा परिषद के विचारार्थ रिपोर्ट प्रस्तुत की जायगी ।
	[illegible] पर एक टेलीफोन [illegible] के पद के सृजन के [illegible] में ।	111/(7)/78	परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात् टेलीफोन आपरेटर का एक पद वेतनमान रु0 200-320 में दिनांक 1-4-78 से सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी । परिषद द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि विशेष अनुभव एवं कार्यकुशलता रखने वाले अभ्यर्थी को अधिकतम तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां दी जा सकती है ।

[signature]

रु0400/-

1	2	3	4
(8)	आवास एवं विकास परिषद में प्रतिनियुक्ति पर आये अथवा परिषद द्वारा सीधी भर्ती से नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को चैकित्सिक सुविधा दिया जाना ।	111/(8)/78	विचार विमर्श के पश्चात् परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को निम्नलिखित संशोधनों के साथ स्वीकार किया गया । यह निर्णय दिनांक 1-6-78 से लागू होगा । (1) रू0 400/- तक मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी को 15/- प्रतिमाह बतौर चिकित्सा भत्ता देय होगा । (2) (अ) चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति केवल ऐसी बीमारी के लिये की जायेगी जिसमें सरकारी अस्पताल में कम से कम सात दिन तक भर्ती होना पड़े । अधिकृत चिकित्सक(Authorised Medical Attendant) के परिभाषा भी अंकित कर दी जाय । (ब) दुर्घटना ग्रस्त होने पर जिसके उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती होना पड़े चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी । (स) शल्य चिकित्सा जिसमें कम से कम सात दिन तक सरकारी अस्पताल में भर्ती होना पड़े के लिये चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी । (द) टी0बी0से पीड़ित कर्मचारी को रोग मुक्त होने तथा स्वास्थ्य लाभ की अवधि (convalescence) के लिये भी उक्त सुविधा उपलब्ध रहेगी (3) मेडिकल कालेज एवं अन्य अस्पतालों में कराई गई चिकित्सा के लिये चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति तभी की जायेगी जब राजकीय अस्पताल द्वारा केस रैफर (refer) किया गया हो । (4) भुगतान सीमा से सम्बन्धित प्रस्तर 4 निकाल दिया जाये ।
(9)	राम तीर्थ सिल्टन लैन योजना में आश्रित अस्तबलों का निर्माण	111/(9)/78	विचार विमर्श के उपरान्त परिषद द्वारा इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी । यह भी तय किया गया कि किराये की न्यूनतम दर रू0 3.50 प्रति वर्ग फुट होनी चाहिये जिसमें भवन एवं जलकर सम्मिलित होंगे ।
(10)	परिषद के कार्यकलापों के सम्बन्ध में टिप्पणी ।	111/(10)/78	परिषद द्वारा परिषद के कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रस्तुत टिप्पणी का अवलोकन किया गया ।
(11)	[illegible]पुर की योजना सं0-2, 3, 4, 6 व 7 को परित्याग किये जाने के सम्बन्ध में ।	111(11)/78	परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात् इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।

[signature]

1	2	3	4
(12)	परिषद की योजनाओं के विरुद्ध परिषद अधिनियम की धारा 28 के पश्चात् धारा 29 के अन्तर्गत प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई नियोजन समिति द्वारा करने तथा निर्णय लेने के सम्बन्ध में गाईडलाइन्स	111/(12)/78	परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित संशोधनों के साथ इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया :- (1) क्रम संख्या 1 को निकाल दिया जाय तथा शेष मदों को क्रम संख्यायें तदनुसार परिवर्तित कर दी जाय । (2) क्रम संख्या 4 में शब्द "जिस स्थान पर" एवं "सघन" के बीच शब्द "सघन तरकारियाँ या फूल बोये जाते हों या" बढ़ा दिये जायें ।
(13)	मालवीय नगर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना गोरखपुर को आगे चलाने के सम्बन्ध में ।	111/(13)/78	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।
(14)	पडेह नगर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना गोरखपुर को आगे चलाने के सम्बन्ध में ।	111/(14)/78	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।
(15)	डाँठ हाउस(अपर) भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना नैनीताल को आगे चलाने के सम्बन्ध में ।	111/(15)/78	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।
(16)	सिकन्दरा गृहस्थान एवं सड़क योजना आगरा, की धारा 31(2) के अन्तर्गत परिषद की स्वीकृति हेतु प्राक्कलन ।	111/(16)/78	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।
(17)	परिषद की फिरोजाबाद आगरा रोड पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 फिरोजाबाद की धारा 31(2) के अन्तर्गत स्वीकृति के संबन्ध में ।	111/(17)/78	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।
(18)	नई गंज गृहस्थान योजना जौनपुर की धारा 31(2) के अन्तर्गत परिषद की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्राक्कलन ।	111/(18)/78	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।
(19)	रजीपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, गाजीपुर ।	111/(19)/78	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।
(20)	परिषद की योजनाओं हेतु हडको द्वारा स्वीकृत ऋण पर उप-समिति का निर्णय ।	111/20)/78	परिषद द्वारा उप समिति के निर्णय का अवलोकन किया गया । स्वीकार ।

[illegible signature]

कु0प0आ0

132

1	2	3	4
(21)	अलीगढ़ में आगरा तथा मथुरा रोड के बीच गृहस्थान योजना सं0-9 अलीगढ़ को आगे चलाने अथवा न चलाने पर विचार ।	111/(21)/78	परिषद द्वारा भूमि अर्जन की कार्यवाही जारी रखने का निर्णय लिया गया ।
(22)	लालपुरा भूमि विकास योजना सं0-15, झांसी को आगे चलाने अथवा न चलाने पर विचार ।	111/(22)/78	परिषद द्वारा भूमि अर्जन की कार्यवाही जारी रखने का निर्णय लिया गया ।

पुष्टि की गई

17/7/78

अध्यक्ष